उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 3/4/90-कार्मिक-2-91

लखनऊ, 9 मई, 1991

## अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनी शुदा कर्मचारियों को सरकारी सेवा में आमेलित करने की व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

## उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनी शुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को नियम बनाने की शक्ति के अधीन पदों पर लागू होगी।

2--जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, पद--

(क) किसी ऐसे पद के सम्बन्ध में, जिससे किसी कर्मचारी की छटनी की गई थी "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है ;

(ख) "सार्वजनिक निगम" का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय या स्थानीय स्वायत्त शासन के प्रयोजन के लिए गठित स्थानीय प्राधिकरण के सिवाय, उत्तर प्रदेश में किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किसी निगमित निकाय से है, और उसमें कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई ऐसी सरकारी कम्पनी सम्मिलित है, जिसमें राज्य सरकार का प्रचुर हित हो।

(ग) "छटनी शुदा कर्मचारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से जो 1 अक्तूबर, 1956 को या उसके पूर्व पद पर नियुक्ति के लिए दी गई प्रक्रिया के अनुसार सरकार या किसी सार्वजनिक निगम के अधीन किसी पद पर नियुक्त किया गया था और यथास्थिति, सरकार या सार्वजनिक निगम के किसी अधिष्ठान में कमी किए जाने या उसका परिसमापन किए जाने के कारण अपनी छटनी के दिनांक तक सरकार के या ऐसे निगम के अधीन किसी पद पर निरन्तर कार्य कर रहा था और जिसके सम्बन्ध में उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छटनी शुदा कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो;

(घ) "सेवा नियमावली" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाई गई नियमावली से है, और जहां ऐसी नियमावली न हो, वहां सुसंगत सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों से है।

3--(1) तात्समय प्रवृत्त किसी अन्य सेवा नियमावली में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा सरकार के अधीन किन्हीं पदों या सेवा में छटनी शुदा कर्मचारियों को आमेलित करने की अपेक्षा कर सकती है और ऐसे छटनी शुदा कर्मचारियों के सम्बन्ध में भर्ती के विभिन्न नियमनों और शर्तों में शिथिलता सहित ऐसे आमेलन के लिए प्रक्रिया विहित कर सकती है।

(2) सुसंगत सेवा नियमावली में दिए गए उपबन्ध उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिसूचित आदेश में दिए गए उपबन्धों से उनकी असंगतियों की सीमा तक उपान्तरित समझे जायेंगे।

आज्ञा से,

नीरा यादव,